40

म/निग0/रीवा/भू रा0/2018/0195

न्यायालय श्रीमांन् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट
रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

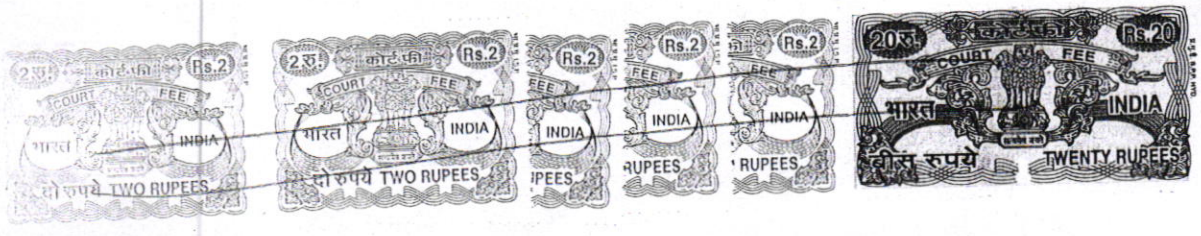

प्रति श्री राजेन्द्र मिश्रा अधिवक्ता 28.12.17

1– श्रीमती शांती सिंह पत्नी स्व0 देमान सिंह

2– रणबहादुर सिंह तनय स्व0 देमान सिंह

3– लल्लू सिंह तनय स्व0 देमान सिंह

4– रमेश सिंह तनय स्व0 देमान सिंह

5– बीरेन्द्र सिंह तनय स्व0 देमान सिंह

6– दयावती सिंह पुत्री स्व0 देमान सिंह

7– चम्पा सिंह पुत्री स्व0 देमान सिंह

8– सरोज सिंह पुत्री स्व0 देमान सिंह

9– बेबी सिंह पुत्री स्व0 देमान सिंह

सभी निवासी ग्राम – बुढ़िया, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा म0प्र0 ————पुनरीक्षकगण

(स्टाम्प: ... आफ कोर्ट ... मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा)

बनाम्

1– श्रीमती महारानी सिंह

2– रामचन्द्र सिंह तनय स्व0 कौशल सिंह

3– रघुराज सिंह तनय स्व0 कौशल सिंह

4– बृजेन्द्र सिंह तनय स्व0 कौशल सिंह

5– सुरेश सिंह तनय स्व0 कौशल सिंह (मृत) वारिसान–

5क– शुभी सिंह पुत्री स्व0 सुरेश सिंह

6ख– कुट्टू सिंह पुत्री स्व0 कौशल सिंह

7– दिनेश सिंह तनय स्व0 कौशल सिंह

8– विश्वनाथ सिंह तनय स्व0 कक्कू सिंह (मृतक) (ला0फौत)

9– लक्ष्मण सिंह तनय स्व0 गजराज सिंह

10– कुइसी सिंह पुत्री स्व0 गजराज सिंह

11– बुटइया पुत्री पुत्री स्व0 गजराज सिंह

12– राघवेन्द्र सिंह तनय स्व0 गजराज सिंह

13– सोनिया सिंह पुत्री स्व0 गजराज सिंह

14– उमेश सिंह तनय स्व0 गजराज सिंह

15– कुसम सिंह पुत्री स्व0 गजराज सिंह (मृतक वारिसान)

16क– आनन्द सिंह तनय माता स्व0 कुसुम सिंह

16ख– जावेन्द्र सिंह तनय माता स्व0 कुसुम सिंह

16ग– राजबहादुर सिंह तनय माता स्व0 कुसुम सिंह

16घ– मोनू सिंह तनय माता स्व0 कुसुम सिंह

16च– रजनी सिंह पुत्री माता स्व0 कुसुम सिंह

16छ– राधा सिंह पुत्री माता स्व0 कुसुम सिंह

17– जमीन उर्फ जमान सिंह (मृतक) वारिसान–

17क– छोटेलाल सिंह तनय स्व0 जमीन उर्फ जमान सिंह

17ख– अर्जुन सिंह तनय स्व0 जमीन उर्फ जमान सिंह

17ग– गेंदा सिंह पुत्री स्व0 जमीन उर्फ जमान सिंह

17घ– हेमा सिंह पुत्री स्व0 जमीन उर्फ जमान सिंह

18– भारत सिंह तनय स्व0 जमीन उर्फ जमान सिंह (मृतक) वारिसान–

18क– श्रीमती लक्ष्मी सिंह पत्नी भारत सिंह

19– नेबाजू सिंह पुत्री स्व0 जमीन उर्फ जमान सिंह

20– हरगोविन्द सिंह तनय स्व0 जमीन उर्फ जमान सिंह

21– आशा सिंह पुत्री स्व0 जमीन उर्फ जमान सिंह

22– राघवेन्द्र सिंह तनय स्व0 जमीन उर्फ जमान सिंह

23– पारखत सिंह (मृतक) वारिसान–

23क– रोशन सिंह तनय स्व0 पारखत सिंह

23ख– रोशन सिंह तनय स्व0 पारखत सिंह

24– श्रीमती अनार सिंह पत्नी शिवकुमार सिंह पुत्री स्व0 सुखदेव सिंह

24क– लालमणि सिंह तनय स्व0 शिवकुमार सिंह (मृतक)

24क1– मीना सिंह पत्नी स्व0 लालमणि सिंह

24ख– रंजीत सिंह तनय स्व0 शिवकुमार सिंह

24ग– बीरेन्द्र सिंह तनय स्व0 शिवकुमार सिंह

25– रन्जकिया सिंह पुत्री स्व0 सुखदेव सिंह

सभी निवासी ग्राम–बुढ़िया, तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0प्र0

––प्रत्यर्थीगण

पुनीरीक्षण विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा जिला रीवा दिनांक 10.11.2017 जो प्रकरण कं0 284/अपील/17–18 में पारित

पुनीरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

मान्यवर,

पुनरीक्षण कर्ता द्वारा अनय के अनिरिक्त निम्न आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत है :–

1– अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 10.11.2017 जिसके द्वारा अपील दायरा बिन्दु में ही बनिा रिकार्ड बुलाये संक्षिप्ततः निरस्त की गयी, पूर्णतः विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है।

2– अधीनस्थ न्यायालय अनुषिभजीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार तहसील रायपुर कर्च0 के प्रकरण कं0 101/अ–27/16–17 आदेश दिनांक 20.09.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी थी, जो प्रथम अपील बिना अभिलेख तलब किए निरस्त नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वह अपील अवधि के अंदर पेश थी। और इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा भी प्रारम्भिक तौर पर ही वगैर अभिलेख बुलाये अपील निरस्त कर दी गई इस तरह प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि विरूद्ध है तथा निरस्त किए जाने योग्य है। **इस संबंध में न्याय दृष्टान्त 1963 राजस्व निर्णय पृष्ठ–281 तथा 1993 राजस्व निर्णय पृष्ठ–128 एवं 1996 राजस्व निर्णय पृष्ठ–40 की व्यवस्था विचारणीय है।**

3– अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह बिन्दु निहित था कि संबंधित भूमि खसरा नं0 141, 142 कु 2 किता कुल रकवा 0.138हें0

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/195

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 284/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–11–17 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम बुढ़िया की आराजी कमांक 141, 142 के रकबे के विभाजन का तहसीलदार रायपुर कर्चुलियन से चाहा गया था क्योंकि यह भूमि पैत्रिक थी, परन्तु तहसीलदार रायपुर कर्चुलियन ने प्रकरण कमांक 101 अ–27/16–17 में पारित आदेश दिनांक 20–9–17 को बटवारे का दावा निरस्त करने में त्रृटि की गई थी, जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर कर्चुलियान के समक्ष अपील की गई, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने बिना रिकार्ड मॅगाये एंव प्रकरण की वास्तविकता को समझे बिना प्रकरण कमांक 1 अ–27/17–18 में पारित आदेश दिनांक 28–10–17 से प्रारंभिक स्टेज पर ही अपील प्रकरण निरस्त करने में त्रृटि की है और जब अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के त्रृटिपूर्ण निर्णय के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के अपील की गई। अपर आयुक्त ने भी प्रकरण कमांक 284/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 10–11–17 से अपील को ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त करने में भूल की है इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख मॅगाकर प्रकरण में सुनवाई करते हुये प्रकरण का निराकरण मेरिट के आधार पर किया जाय। 3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव	

अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर कर्चुलियान के आदेश दिनांक 28–10–17 के अवलोकन पर पाया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदकगण के बटवारे के आवेदन को इसलिये सुनवाई योग्य नहीं माना है क्योंकि इन्हीं भूमियों के सम्बन्ध में बटवारे पर स्वत्व का विवाद व्यवहार न्यायालय में प्रचलित है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 (1) में बटवारे वावत् इस प्रकार व्यवस्था दी गई है –

धारा 178 (1) – परन्तु यदि हक संबंधी कोई प्रश्न उठाया जाता है तो तहसीलदार अपने समक्ष की कार्यवाहीयॉ को तीन मास की कालावधि तक के लिये रोक देगा जिससे कि हक संबंधी प्रश्न के अवधारण के लिये सिविल वाद का संस्थित किया जाना सुकर हो जाए।

वाद विचारित भूमि के बटवारे के संबंध में सिविल वाद प्रचलित है जिसके आधार पर तहसीलदार रायपुर कर्चुलियन ने आदेश दिनांक 20–9–17 से बटवारे का दावा निरस्त किया है। व्यवहार न्यायालयों के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है और वाद विचारित भूमियों के बटवारे के स्वाधिकार के प्रकरण का निराकरण जैसे ही मान. व्यवहार न्यायालय से होगा, तहसील न्यायालय अमल कार्यवाही हेतु बाध्य है। तहसीलदार रायपुर कर्चुलियन के आदेश दिनांक 20–9–17 में, अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28–10–17 में , अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 10–11–17 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में सुनवाई का औचित्य नहीं होने से निगरानी सारहीन है जो इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य